

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

प्रकरण + 58
19

निर्णय दिनांक 10.10.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का बाजम द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.9.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का बाजम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल निहाल सिंह पुत्र जीत कौम बबेर निवासी बिहेय तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 224 किस्म नासगाह रकबा 0.06 बाके ग्राम बिहेय पर बाजम की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 1.20 की 50 गुनी से शास्ति राशि 60 रुपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि 60 पंजिका क्र
क्रम नं० 32 क्रम नं० 11
दर्ज की गई
राज
TRA
राजाखेडा

राज
तहसीलदार
राजाखेडा